न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 03/2023
दायर दिनांकः 15.02.2023
निर्णय दिनांक 31.10.2025

—: अनवान :—

आनन्द पिता कन्हैया लाल उर्फ ओगडमल जी महाजन आयु 41 वर्ष निवासी पडासली, तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी राजसमन्द
2. मनीष बडाला पिता स्व. कन्हैया लाल उर्फ ओगडमल जी महाजन बडाला
3. जया पिता स्व. कन्हैया लाल उर्फ ओगडमल जी महाजन बडाला
4. अणछाई बाई पत्नि स्व. कन्हैया लाल उर्फ ओगडमल जी महाजन बडाला निवासीयान पडासली, तहसील व जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04/05/2018 नामान्तरण संख्या 1256 तहसीलदार जी राजसमन्द

उपस्थित :—

1. श्री सम्पत लाल लडढा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रितेश टुकलिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3. श्री अनिल बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 1

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 1256 दिनांक 04.05.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3, व 4 के पूर्वाधिकारी स्व. कन्हैया लाल उर्फ ओगडमल की मृत्यु पर उनके नाम दर्ज भूमियां अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3, व 4 के नाम दर्ज की गई। म्युटेशन कि कार्यवाही में यहा सामने आया कि भूमियां अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम अंकित थी।, किन्तु गांव में प्रचलित उनके नाम ओगडमल के नाम थी, जबकि अन्य रेकार्ड में उनका नाम कन्हैयालाल था, पेन कार्ड एवं वोटिंग कार्ड कन्हैयालाल ही अंकित है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कन्हैयालाल ही अंकित है, इस कारण अपीलार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासली से प्रमाण पत्र प्राप्त कर पेश करवाया कि कन्हैयालाल एवं ओगडमल एक व्यक्ति है। किन्तु म्युटेशन में केवल ओगडमल का नाम कर दिया गया। तहसीलदार जी राजसमन्द ने सही जांच की एवं भूमियां मृतक के बजाय हमारे नाम अंकित की, किन्तु हमारे पिता का नाम ओगडमल ही लिख दिया, जबकि ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल करना था, जिससे हमें परेशानी हो रही है। अभी हमें नकलो की जरूरत हुई तो रेकार्ड देखा तो ज्ञात हुआ कि हमारे पिता नाम ओगडमल ही लिखा हुआ है।, तब आज दिनांक 02.02.2023 को अविलम्ब यह अपील इन आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है कि पटवारी हल्का ने म्युटेशन शीट में क्रमांक 14 पर स्पष्ट लिखा कि ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति है, किन्तु कॉलम 9 में सिर्फ ओगडमल ही लिख दिया एवं हुबहु म्युटेशन स्वीकृत होकर रेकार्ड में भी ओगडमल ही दर्ज कर दिया जबकि ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल अंकित करना था। अवर न्यायालय ने सावधानी नहीं रखी, अन्यथा म्युटेशन शीट की कोलम (14) के अनुसार ही कॉलम नंबर (9) में भी ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल भरना था एवं ऐसा त्रुटिपूर्ण रिति से हुआ है, जो सुधार किये जाने योग्य है बकाया म्युटेशन सही है, केवल म्युटेशन स्वीकृति में स्पष्ठ भरना था कि वारिसान के पूर्वाधिकारी का नाम ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल था, ताकि हमें परेशानी नहीं होती तथा अवर न्यायालय ने स्वयं माना कि ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति है, इसी कारण उनके वारिसान के नाम म्युटेशन स्वीकृत किया तो वारिसान के पूर्वाधिकारी के रूप में भी ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल लिखना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया जो अवैध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 एवं 4 कानूनी रूप से आवश्यक पक्षकार है, किन्तु अभी मुम्बई है, इस कारण उन्हे परफोमा डिफेन्डर के रूप में रेस्पोडेन्टस बनाए है, वैसे रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4 इस कार्यवाही से सहमत है। अपीलार्थी को उक्त त्रुटि का ज्ञान इतने वर्षो तक नहीं हुआ क्योंकि हमे राजस्व रेकार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमने तो पंचायत का प्रमाण पत्र पटवारी को दे दिया तथा समझा कि रेकार्ड में पिता का नाम ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल ही अंकित हुआ होगा, अभी जमीनों की नकल की आवश्यकता हुई तो दिनांक 01.02.2023 को पता चला कि पिता का नाम ओगडमल ही अंकित है। जबकि रेकार्ड में पेन कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड के लिए अप्लाई में भी कन्हैयालाल ही नाम लिखा गया था, तक कानूनी सलाह लेकर दिनांक 01.02.2023 को ही म्युटेशन नंबर 1256 की नकल निकलवाई, एवं अविलम्ब आज दिनांक 02.02.2023 को अपील प्रस्तुत की जा रही है। जानबुझकर भूल या लापरवाही नहीं की है। गलती की जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की जारी है, विलम्ब माफी दरख्वास्त अलग से प्रस्तुत की जारी है अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर म्युटेशन में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4 के पिता का नाम ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल करवाया जाकर म्युटेशन स्वीकृत किया जाए।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 की ओर अधिवक्ता श्री रितेश टुकलिया ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। किन्तु बावजूद सूचना दिनांक 25.08.2025 को अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3, व 4 के पूर्वाधिकारी स्व. कन्हैया लाल उर्फ ओगडमल की मृत्यु पर उनके नाम दर्ज भूमियां अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3, व 4 के नाम दर्ज की गई। म्युटेशन कि कार्यवाही में यहा सामने आया कि भूमियां अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम अंकित थी किन्तु गांव में प्रचलित उनके नाम ओगडमल के नाम थी, जबकि अन्य रेकार्ड में उनका नाम कन्हैयालाल था, पेन कार्ड एवं वोटिंग कार्ड कन्हैयालाल ही अंकित है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी कन्हैयालाल ही अंकित है, इस कारण अपीलार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासली से प्रमाण पत्र प्राप्त कर पेश करवाया कि कन्हैयालाल एवं ओगडमल एक व्यक्ति है। किन्तु म्युटेशन में केवल ओगडमल का नाम कर दिया गया। तहसीलदार जी राजसमन्द ने सही जांच की एवं भूमियां मृतक के बजाय हमारे नाम अंकित की, किन्तु हमारे पिता का नाम ओगडमल ही लिख दिया, जबकि ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल करना था, जिससे हमें परेशानी हो रही है। पटवारी हल्का ने म्युटेशन शीट में क्रमांक 14 पर स्पष्ट लिखा कि ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति है, किन्तु कॉलम 9 में सिर्फ ओगडमल ही लिख दिया एवं हुबहु म्युटेशन स्वीकृत होकर रेकार्ड में भी ओगडमल ही दर्ज कर दिया जबकि ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल अंकित करना था। अवर न्यायालय ने सावधानी नहीं रखी, अन्यथा म्युटेशन शीट की कोलम (14) के अनुसार ही कॉलम नंबर (9) में भी ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल भरना था एवं ऐसा त्रुटिपूर्ण रिति से हुआ है, जो सुधार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर म्युटेशन में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 4 के पिता का नाम ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल करवाया जाकर म्युटेशन स्वीकृत किया जाए।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का खाते में अंकित नाम के मुताबिक ही नामान्तकरण की कारवाई की गई गयी है। ओगड़मल उर्फ कन्हैयालाल हेतु इनको सिविल न्यायालय में वाद दायर कर करना चाहिए था। अतः नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1256 दिनांक 04.05.2018 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि स्व. कन्हैया लाल उर्फ ओगडमल की मृत्यु पर उनके नाम दर्ज भूमियां उनके वारिसान अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3, व 4 के नाम दर्ज की गई। किन्तु नामान्तरण में केवल ओगडमल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

का नाम लिख दिया गया जबकि पटवारी हल्का ने नामान्तरकण प्रपत्र के कॉलम 14 में स्पष्ट लिखा है कि ओगडमल उर्फ कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति है, किन्तु कॉलम 9 में सिर्फ ओगडमल ही लिख दिया गया है अतः विचारणीय नामान्तकरण में कॉलम 9 में इनका नाम कन्हैया लाल उर्फ ओगडमल अंकित करवाया जावे।

हमने अधीनस्थन न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 1256 दिनांक 04.05.2018 का अवलोकन किया। इसमें इस नामान्तकरण में ओगड़मल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान जो कि इस अपील में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 है, के नाम भूमि अंकित की गयी। इस नामान्करण में यह लिखा गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र श्री कन्हैयालाल का प्रस्तुत हुआ है और श्री कन्हैयालाल का ही दूसरा नाम ओगड़मल है। और इसमें कॉलम संख्या 14 में भी इस तथ्य का अंकन किया गया है कि ओगड़मल उर्फ कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति के नाम है परन्तु कॉलम संख्या 9 में जो पिता का नाम लिखा गया है वह मात्र ओगड़मल ही लिखा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मृत्यु प्रमाण के आधार पर यह नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है उस मृत्यु पत्र में भी ओगड़मल का नाम कन्हैयालाल ही लिखा गया था तथा कॉलम संख्या 14 में स्वयं स्वीकार किया गया है कि कन्हैयालाल व ओगडमल एक ही व्यक्ति है। अतः इस प्रकार कॉलम संख्या 9 में भी ओगडमल का नाम ओगड़मल उर्फ श्री कन्हैयालाल लिखे जाने में किसी प्रकार की आपति होना जाहिर नहीं हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित विवादित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1256 दिनांक 04.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि नये नामान्तरकरण की कार्यवाही में कॉलम संख्या 9 में मृतक ओगडमल का नाम ओगड़मल उर्फ श्री कन्हैयालाल लिखा जाना सुनिश्चित करे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)